No.42/18/95-P&PW(G)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
(Department of Pension & Pensioners' Welfare)

New Delhi, dated the 14th July, 1995.

OFFICE MEMORANDUM

Subject : *Grant of Interim Relief to Central Government pensioners/family pensioners.*

The Fifth Central Pay Commission has recommended grant of Interim Relief at the rate of Rs.50/-p.m. to all pensioners/family pensioners of the Central Government. The Commission has further recommended grant of further Interim Relief at the rate of 10% of the basic pension/family pension subject to a minimum of Rs.50/-p.m. to the Central Government pensioners/family pensioners w.e.f. 1st April, 1995.

2. The Government have accepted the above recommendations of the Pay Commission. Accordingly, the President is pleased to sanction Interim Relief to all Central Government pensioners/family pensioners at the rate of Rs.50/- p.m. and, in addition, 10% of the basic pension/family pension subject to a minimum of Rs.50/- p.m. w.e.f. 1st April, 1995.

3. If a pensioner/family pensioner is re-employed/employed under the Central or State Government or a Corporation/Company/Body/Bank under them in India or abroad including permanent absorption in such Corporation/Company/Body/Bank, he/she shall not be eligible to draw Interim Relief on pension/family pension during the period of such re-employment/employment.

4. Interim Relief may be shown as a separate element. No dearness relief on this element will be admissible. Interim Relief involving a fraction of a rupee may be rounded off to the next higher rupee.

5. In case of persons in receipt of more than one pension, the Interim Relief will be calculated on the total of all pensions taken together.

6. These orders also apply to the Armed Forces Pensioners, Civilian Pensioners paid out of Defence Services Estimates, All India Service Pensioners and Railway Pensioners.

7. In so far as pensioners/family pensioners belonging to Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with Comptroller & Auditor General of India.

8. Accountants General and authorised Public Sector Banks are requested to arrange payment of Interim Relief to pensioners on the basis of the above instructions without waiting for any further communication from the Comptroller & Auditor General of India or the Reserve Bank of India.

9. Hindi version is enclosed

(S.C. BATRA)
Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India

Copy, alongwith 400 spare copies, forwarded to the Comptroller & Auditor General of India.

Copy also forwarded to..... as per endorsement enclosed.

सं. 42/18/95-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (जी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई, 1995

कार्यालय ज्ञापन

विषय : *केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत प्रदान करना।*

पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकार के सभी पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को प्रत्येक माह 50/- रुपए की दर से अंतरिम राहत देने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त आयोग ने केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को 1 अप्रैल, 1995 से मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 10% की दर से, किन्तु प्रत्येक माह 50/-रु. से कम नहीं, देने की सिफारिश की है।

2. सरकार ने वेतन आयोग की उपर्युक्त सिफारिशें मान ली हैं। तदनुसार राष्ट्रपति, सभी केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को प्रत्येक माह 50/-रुपए की दर से अंतरिम राहत के अतिरिक्त 1 अप्रैल, 1995 से मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 10%, किन्तु प्रत्येक माह 50/- रुपए से कम नहीं, की मंजूरी प्रदान करते हैं।

3. यदि पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी, भारत या विदेश में किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार या उसके अधीन किसी निगम/कम्पनी/निकाय/बैंक में पुनर्नियोजित/नियोजित है, जिसमें ऐसे निगम/कम्पनी/निकाय/बैंक में स्थायी आमेलन भी शामिल है, तो वह ऐसे पुनर्नियोजन/नियोजन की अवधि के दौरान पेंशन/परिवार पेंशन पर अंतरिम राहत लेने का हकदार नहीं होगा।

4. अंतरिम राहत को एक अलग घटक के रूप में दर्शाया जाए। इस घटक पर कोई मंहगाई राहत अनुमत्य नहीं होगी। अंतरिम राहत की अदायगी करते समय पैसों को रुपए में बदल दिया जाए।

5. एक से अधिक पेंशन ले रहे व्यक्तियों के मामले में, अंतरिम राहत की गणना सभी पेंशनों को जोड़कर की जाएगी।

6. ये आदेश सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से पेंशन प्राप्त करने वाले सिविलियन पेंशनभोगियों, अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनभोगियों तथा रेलवे पेंशनभोगियों पर भी लागू होंगे।

7. जहां तक भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये आदेश नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

8. महालेखाकारों तथा सरकारी क्षेत्र के प्राधिकृत बैंकों से अनुरोध है कि वे भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के किसी और अनुदेश की प्रतीक्षा किए बिना, उपर्युक्त अनुदेशों के आधार पर पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत के भुगतान करने की व्यवस्था करें।

सुभाष चं० बत्रा

(एस.सी. बत्रा)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि 400 अतिरिक्त प्रतियों सहित भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार को प्रेषित

प्रतिलिपि-----को भी संलग्न पृष्ठांकन के अनुसार प्रेषित।